बिहार सरकार
परिवहन विभाग
आदेश

सं0–02/कर वापसी–32/2018 परि0 **पटना, दिनांक–**

प्रस्तुत मामले में मेसर्स जे0डी0 मोटर्स, किशनगंज द्वारा डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत एक हिरो मोटरसाईकिल, जिसका चेचिस सं0–MBLJAR037J9C52764 एवं इंजन संख्या–JA05EGJ9C51A77 है, का बिक्री दिनांक–24.04.2018 को श्री गोलाम हुसैन, पिता–मो0 सब्बीर, ग्राम–मोतीबाग करबला, थाना + जिला– किशनगंज को किया गया है।

उपर्युक्त वाहन का ऑनलाईन इन्ट्री के क्रम में वाहन का क्रयमूल्य ₹ 44,544.00 (चौबालीस हजार पाँच सौ चौबालीस रुपये) के बदले भूलवश ₹ 4,45,444.00 (चार लाख पैंतालीस हजार चार सौ चौबालीस रुपये) अंकित हो गया, जिसके कारण ₹ 32,072.00 (बत्तीस हजार बहत्तर रुपये) अधिक सरकार के खाते में जमा हो गया है।

उपरोक्त के आलोक में मेसर्स जे0डी0 मोटर्स, किशनगंज द्वारा जिला परिवहन कार्यालय, किशनगंज में दिनांक–26.04.2018 को बिहार मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 1994 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के आलोक में अधिक जमा की गयी राशि मेसर्स जे0डी0 मोटर्स, किशनगंज के पक्ष में कर वापसी हेतु आवेदन समर्पित किया गया।

उपरोक्त के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक–298, दिनांक–04.05.2018 द्वारा कर गणना अभिलेख उपलब्ध कराया गया जिसमे उनके द्वारा कहा गया है कि उक्त वाहन का वास्तविक रोड टैक्स एवं अन्य फीस मिलाकर ₹ 4,264.00 (चार हजार दो सौ चौसठ रुपये) होना था परन्तु उनके ऑनलाईन भुगतान के क्रम में ₹ 44,544.00 (चौबालीस हजार पाँच सौ चौबालीस रुपये) सरकार के खाते में जमा हो गया है। इस तरह कुल ₹ 32,072.00 (बत्तीस हजार बहत्तर रुपये) अधिक सरकार के खाते में जमा हो गया है एवं इस राशि की वापसी/समायोजन की अनुशंसा जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा की गयी है।

मामले की समीक्षा की गयी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा प्रेषित कर गणना अभिलेख से विदित होता है कि टंकन भूलवश वाहन का क्रयमूल्य अधिक अंकित हो जाने के कारण सरकार के खाते में अधिक राशि जमा हो गया है।

अतः समीक्षोपरांत बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–18(2) के आलोक में एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–18 के आलोक में निर्गत विभागीय परिपत्र संख्या–3000, दिनांक–29.06.2007 के आलोक में एक हीरो मोटरसाईकिल, जिसका चेचिस सं0–MBLJAR037J9C52764 एवं इंजन संख्या–JA05EGJ9C51A77 है, के संबंध में सरकार के खाते में अधिक जमा की गयी राशि ₹ 32,072.00 (बत्तीस हजार बहत्तर रुपये) मेसर्स जे0डी0 मोटर्स, किशनगंज को वापसी की स्वीकृति दी जाती है जिसका भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मेसर्स जे0डी0 मोटर्स, किशनगंज को किया जाएगा।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

निबंधित/ ज्ञापांक :– 02/कर वापसी–32/2018 4755 पटना, दिनांक– 24/7/18
ई–मेल

प्रतिलिपि :– जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज/मेसर्स जे0डी0 मोटर्स, सुभाष पल्ली रोड, पश्चिम पर्ली, किशनगंज–855108 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.07.18

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।